



तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.2025	<p>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरिये प्रार्थी अधिवक्ता श्री लखनलाल बैरवा एवं सी०एल० मीना एड० द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा० अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फंसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम मुरलीपुर तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 240, 266/241 में आगामी तारीख पेशी तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 26.11.2025 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा </p>	
26/11/25	<p>पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अहमद पत्रावली में पैरवी हेतु खुले न्यायालय में बार-बार भावाज भागई मधी लेखिन कोई भी हाजिर नही आया। अतः पत्रावली अहमद पैरवी अहमद हाजिरी में खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा </p>	